



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236687
CG-DL-E-18062022-236687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2673]
No. 2673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2810(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में क्रमशः जिला लेह और जिला कारगिल में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन सेशन न्यायाधीश का न्यायालय लेह और कारगिल को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है।

[फा. सं. 10/49/2017-पीएम]

डॉ. शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (वित्तीय बाजार)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 2810(E).—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India, 1992 (15 of 1992), Section 26A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and Section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, hereby designates Courts of Sessions Judge, Leh and Kargil as Special Courts under the aforesaid Acts to exercise jurisdiction in District Leh and District Kargil respectively in the Union territory of Ladakh.

[F. No. 10/49/2017-PM]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Senior Economic Adviser (Financial Markets)